समाहरणालय, बक्सर
(नजारत शाखा)

निविदा आमंत्रण सूचना

समाहरणालय, बक्सर, जिला अतिथि गृह, बक्सर एवं जिला गोपनीय शाखा, बक्सर में अधिष्ठापित Window AC एवं Split AC के रख–रखाव एवं वार्षिक मरम्मति हेतु Annual Maintenance Contract (AMC) के लिए वाणिज्य कर विभाग से निबंधित फर्मो से सभी कर सहित तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा (मुहरबंद अलग – अलग लिफाफा में) दिनांक 16.09.2019 को 01.00 बजे अप० तक जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला नजारत शाखा, बक्सर में जमा की जायेगी तथा दिनांक 16.09.19 को 03.00 बजे अप० में जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

निविदा की शर्त्ते :–

i. निविदा के साथ मो० 10000.00 (दस हजार) रू० मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से देय होगा एवं बक्सर शाखा में भुगतेय होगा, जमा करना अनिवार्य होगा।

ii. निविदादाता के द्वारा तकनीकी निविदा के साथ पैनकार्ड, संबंधित विभाग (उद्योग विभाग/ निबंधन महानिरीक्षक / श्रम विभाग / तकनीकी विभाग) से प्रतिष्ठान, दुकान या फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिटर्न एवं वाणिज्यकर विभाग के द्वारा निर्गत वैट / जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने तथा किसी प्रकार का मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से निर्गत शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। साथ ही निविदादाता को अधिकृत सेवा प्रदाता होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।

iii. वित्तीय निविदा में Window AC एवं Split AC के सर्विसिंग हेतु प्रति ए०सी० का सर्विस चार्ज एवं सामग्री पर होने वाले व्यय का दर अलग–अलग निम्नलिखित प्रपत्र में अंकित करना होगाः–

(क) सामग्री रहित

क्र0	ए0सी0 का प्रकार	प्रति ए0सी0 का सर्विस चार्ज का दर	वार्षिक दर
1	Window AC		
2	Split AC		

(ख) सामग्री सहित

क्र0	ए0सी0 का प्रकार	प्रति ए0सी0 का सर्विस चार्ज का दर	वार्षिक दर
1	Window AC		
2	Split AC		

iv. ए0सी0 मरम्मति हेतु कार्य स्थल पर आने जाने पर होने वाले व्यय अलग से देय नहीं होगा।

v. स्वीकृत निविदादाता को अल्प सूचना पर संबंधित कार्यस्थल पर पहुँचकर ए0सी0 मरम्मति करना अनिवार्य होगा। ए0सी0 मरम्मति के पश्चात् संबंधित कार्यालय से स्वीकृत निविदादाता को प्रमाण–पत्र प्राप्त कर जिला नजारत को विपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vi. विपत्र से नियमानुसार आयकर / बिक्री कर की कटौती की जायेगी।

vii. वैसे निविदादाता द्वारा जिसका दर न्यूनतम (L1) होगा उसे उक्त दर पर ए0सी0 का वार्षिक रख–रखाव / मरम्मति करना अनिवार्य होगा। यदि वे ऐसा नही करते है तो उसे काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा उनके विरुद्ध इसके अतिरिक्त अलग से कार्रवाई की जायेगी।

viii. कार्यालय में विभिन्न कम्पनी का ए0सी0 अधिष्ठापित है। निविदादाता द्वारा ए0सी0 में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों का उसी कम्पनी के सामग्री का उपयोग करना होगा जिस कम्पनी का ए0सी0 अधिष्ठापित है।

ix किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट **www.buxar.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है एवं जिला नजारत शाखा, बक्सर से सम्पर्क किया जा सकता है।

21/08/15

राघवेन्द्र सिंह,भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी,
बक्सर